

।। कायालय, उप वन संरक्षक, टास वन प्रभाग, पुराला (उत्तरकाशा) ।।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 1035 / 12-1
सेवा में,

दिनांक, पुराला, 02-12-2019।

उप जिलाधिकारी,
पुराला।

विषय—


मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-244/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा पुराला में कमलेश्वर मोटर मार्ग 2.600 कि0मी0 निर्माण हेतु 1.825 है0 के बदले दुगुने क्षेत्रफल 3.650 है0 भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त होने वन सिविल सोयम भूमि स्यालुका मध्ये उत्तराखण्ड सरकार के स्वमित्व की भूमि वर्ग 9(3)ड0 खाता सं0-09 के खसरा सं0-1 रक्वा 0.437 है0 खसरा सं0-22 रक्वा 2.298 है0 खसरा सं0-50 रक्वा 1.128 कुल रक्वा 3.863 की जांच राजस्व उप निरीक्षक गुन्दियाटगांव, सैक्सन ऑफिसर गुन्दियाटगांव, वन वीट अधिकारी गुन्दियाटगांव से करवायी गयी तो जांच में उक्त सिविल सोयम क्षेत्र भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र सिविल सोयम भूमि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

भवदीय


उप वन संरक्षक,
टास वन प्रभाग पुराला।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पुराला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

उप वन संरक्षक,
टास वन प्रभाग पुराला।